

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, बस्ती जनपद-बस्ती/
नगर पंचायत बिल्थरा रोड जनपद- बलिया।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक ११ मई, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में नया सवेरा नगर विकास योजना(वर्तमान में पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना) के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में अनुदान सं०-37 से स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्रमशः अपने पत्रांक-393न०पा०प०ब०/2018-19, दिनांक 16-04-2018, पत्रांक-22(11)/न०पं०बि०रोड,दिनांक-24-04-2018, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश की विभिन्न नागर निकायों को उनकी मांग पर विकास कार्य हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना अन्तर्गत(वर्तमान में पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना) ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निकायो द्वारा स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अनुदान संख्या	स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5	7
1	बस्ती	न०प०प० बस्ती	संख्या-47/2018/आरएफ300/नौ-9-18-103 आरएफ/16,दिनांक-27.03.2018	37	20.00
2	बलिया	न०प० बिल्थरा रोड	संख्या-60/2018/आरएफ213/नौ-9-18-98 आरएफ/16, दिनांक-29-03-2018	37	59.155

3. उपरोक्तानुसार कार्ड नं-03 में उल्लिखित राशियों का नया सर्वसंग्रह नगर विकास योजना के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की सम्पत्तिगत अवधि दिनांक--31.12.2018 तक बढ़ायी जाती है। उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक वर्ष में उपरोक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. सम्बन्धित निकायों द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय तथा यथाशीघ्र स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराकर निर्धारित समयावधि के अन्दर धनराशि का निरन्तरानुसार व्यय/उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक--31.12.2018 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,



(राज कृष्ण)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कौषाधिकारी, बस्ती / बलिया।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग --8
7. नार्ड कार्ड्स/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु

c/c

आज्ञा से,



(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।